वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

वित्त समिति की 69 वीं बैठक
28 फरवरी, 2025

कार्यवाही विवरण

वित्त समिति की 69वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2025 को 12:30 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में माननीय कुलपति महोदय डॉ. कैलाश सोडाणी की अध्यक्षता में (ऑफलाईन/ऑनलाईन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	डॉ. कैलाश सोड़ाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री रोहित दीक्षित मुख्य लेखाधिकारी, सी.ए.डी.,कोटा प्रतिनिधि (प्रमुख शासन सचिव) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	डॉ. मुकेश शर्मा, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि (शासन सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
4.	प्रो0 एन0के0 पाण्डेय, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
5.	डॉ0 रश्मि बोहरा, सदस्य, प्रबंध मण्डल एवं निदेशक क्षे0के0. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,उदयपुर	सदस्य
6.	डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, कोटा	सदस्य
7.	श्रीमती सरिता, कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
8.	श्री महेश चन्द मीणा नियंत्रक (वित्त) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने के लिए वित्त समिति के सचिव (नियंत्रक, वित्त) को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् नियंत्रक वित्त द्वारा कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

बिन्दु सं. 69/1 : **वित्त समिति की दिनांक 07.08.2024 को सम्पन्न 68वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

—00—

वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 07.08.2024 को कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय प्रो. कैलाश सोड़ाणी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक कार्यवाही विवरण सभी माननीय सदस्यगण को जर्ये ईमेल प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में किसी भी माननीय सदस्यगण से असहमति संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुयी। उक्त कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल की 110वीं बैठक (बिन्दु संख्या 110/03 पर) अनुमोदन किया जा चुका है। सदन द्वारा कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 69/2 : **वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 07.08.2024 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।**

—00—

वित्त समिति की दिनांक 07.08.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया व संतोष व्यक्त किया गया।
वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 07.08.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट के अवलोकन के दौरान बिन्दु संख्या 68/05 एवं 68/06 के संबंध में प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्य में हो रहे विलम्ब/विश्वविद्यालय की प्रगति बाधित होने तथा कतिपय अन्य बिन्दुओं के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये उचित कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट किया। बिन्दु सं.—68/4 के संबंध में भी उनके द्वारा सुझाव दिया गया।
सदन द्वारा इस प्रकरण को टेबल एजेंडा बिंदु के रूप में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 69/3 : **विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों के वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025—26 के संभावित प्राप्ति अनुमान।**

—00—

प्रस्ताव :— वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये आय का अनुमान राशि रुपये 11700.00 लाख रखा गया था, जिसके विरूद्ध दिनांक 15.02.2025 तक राशि रुपये 10281.38 लाख की आय/प्राप्तियां हुई है। वित्तीय वर्ष 2024—25 की शेष अवधि में संभावित आय को दृष्टिगत रखते हुये राशि रुपये 11780.48 लाख का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्राप्तियों में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रुपये 880.00 लाख भी सम्मिलित है।
इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिये संभावित आय/प्राप्ति के दृष्टिगत राशि रुपये 11400.00 लाख का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली आयोजना भिन्न मद में संभावित अनुदान राशि रुपये 600.00 लाख समाहित है।

उक्त प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः—समिति सचिव द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान अब तक की वास्तविक प्राप्तियों/आय के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की फीस में गत 5 वर्षों में आई गिरावट के बारे में अवगत कराया। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त अवधि में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या एवं प्राप्त फीस राशि का विवरण तैयार करने का निर्देश दिया गया। चर्चा उपरान्त सदन द्वारा आय/प्राप्तियों के वित्तीय वर्ष 2024—25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025—26 के संभावित अनुमानो का अनुमोदन किया गया तथा वांछित विवरण माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का परामर्श दिया गया।

बिन्दु सं. 69/4 : **विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024—25 के संशोधित व्यय अनुमान (RE) एवं वित्तीय वर्ष 2025—26 के व्यय अनुमान (BE) के संबंध में।**

(लेखा एवं वित्त विभाग)

—00—

प्रस्ताव :— वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये राशि रुपये 11268.25 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में दिनांक 15.02.2025 तक राशि रुपये 8821.55 लाख व्यय हो चुका है। अतः शेष अवधि में संभावित व्यय/समायोजन को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये संशोधित व्यय राशि रुपये 11442.30 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिये संभावित व्यय को मध्यनजर रखते हुये राशि रुपये 11242.66 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2025—26 की संभावित प्राप्तियों/आय के अध्ययधीन है।
उक्त प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— नियत्रंक वित्त द्वारा सदन को वित्तीय वर्ष 2024—25 में अब तक हुये व्यय तथा शेष अवधि में संभावित व्यय के मध्यनजर प्रस्तावित संशोधित प्रावधान **(RE)** एवं वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिये संभावित व्यय के दृष्टिगत प्रस्तावित बजट प्रावधान **(BE)** के बारे में जानकारी दी गयी। चर्चा उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024—25 प्रस्तावित संशोधित प्रावधान (RE) **एवं** वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिये बजट प्रावधान (BE) संभावित प्राप्तियों/आय के सीमान्तर्गत होने के कारण प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

बिन्दु सं. 69/5 : **विश्वविद्यालय के विभागों में Duct लगाये जाने प्रस्ताव बाबत**

—00—

प्रस्ताव :— Examination Department में स्थापित दोनों Duct वर्ष 2013 में स्थापित की गई थी। स्थापना के पश्चात से इन Duct पर कोई Major व्यय नहीं किया गया है। समय—समय पर Pump एवं Canvas बदला गया है। साथ ही परीक्षा Hall में Ground Floor पर स्थापित Duct वर्ष 2014 में स्थापित की गई थी। पूर्व में यह Cooling Plant Hall की छत पर Installed किया गया था परन्तु First Floor के निर्माण के दौरान यह Plant Hall के बाहर Ground Floor पर ही Shift कर दिया गया है। उक 0त तीनों Air Cooling Plant की Body एवं अन्दर की Accessories जर्जर हो गई है। अतः Replace करना अत्यंत आवश्यक है।

Examination Hall के First Floor पर वर्तमान में Air Cooling Plant स्थापित नही है। यह तल परीक्षा विभाग की गोपनीय शाखा हेतु उपभोग में आ रहा है। परीक्षा विभाग द्वारा इस तल पर भी Air Cooling Plant लगाये जाने हेतु टिप्पणी प्रस्तुत की है।

लेखा शाखा प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर स्थित है। वर्तमान में शाखा में जगह–जगह Desert Cooler स्थापित किये गये है जो कि प्रथम तल के गलियारे में स्थापित है। Cooler में पानी भरने के दौरान Gallery में भी पानी का जमाव हो जाता है। लेखा शाखा से भी टिप्पणी प्राप्त हुई है कि इतने Cooler के बाद भी काफी गर्मी रहती है अतः Air Cooing Plant लगाया जाये।
उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्य का Estimate राशि रुपये 41.63 लाख वित्त समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तावित व्यय का वहन भवन फण्ड से किया जाएगा।

निर्णयः–प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यगण द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान समय में Ducting System लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः Ducting System के स्थान पर एसी लगाया जाना अधिक उचित है। विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि Ducting System के साथ ही एसी लगाये जाने के विकल्प की फिजीबिलिटी एवं लागत का आंकलन भी कर लिया जावे तथा जो विकल्प अधिक लाभप्रद हो, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त कर संपादित कर लिया जावे ।

बिन्दु सं. 69/6 : **परीक्षा केन्द्रों को देय विभिन्न मानदेय में संशोधन बाबत् प्रस्ताव**

–00–

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय के समक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा निरन्तर यह मांग उठाई जा रही है कि सभी प्रकार के मानदेय पर पुर्नविचार करते हुये वर्तमान में जारी कार्यालय आदेश संख्या एफ.5/वमखुवि/परीक्षा /2024/4700 दिनांक 11.09.2024 में विद्यमान कुछ विसंगतियों को दूर करने और एक पारी में देय विभिन्न परीक्षा संबंधी कार्यो के लिए देय राशि और यात्रा भत्तों की दर अनुसार दो या तीन पारी में दिए गए ड्यूटी के लिए क्रमशः दुगनी और तिगुनी दर से भुगतान किए जाने की मांग की जानी चाहिये। संशोधित व्यवस्था (संलग्न सूची अनुसार) में परीक्षा केन्द्रों को बिल बनाने में सुविधा होगी और इनकी जांच कर भुगतान करना भी मुख्यालय द्वारा सुलभ होगा और कम समय लगेगा।
उक्त संशोधन परीक्षा दिसम्बर 2024 से प्रभावी किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः–प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ0 दिलीप शर्मा द्वारा भी अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रति पारी के अनुसार मानदेय एवं कन्वेयेंस दिये जाने की मांग की जाती रही है तथा वर्तमान व्यवस्था में कुछ विसंगतियॉ हैं जिनका निराकरण किया जाना अपेक्षित है। विचार विमर्श उपरान्त परीक्षा केन्द्रों की मांग, अन्य विश्वविद्यालयों की मानदेय दरों तथा गत आदेश की कतिपय त्रुटियों के निराकरण की दृष्टि से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

बिन्दु सं. 69/7 : **विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (Balance Sheet) वित्तीय वर्ष 2024–25 अवलोकन के संबंध में।**

–00–

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024–25 के मैसर्स सीए धर्म मितल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे (Balance Sheet) समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः—नियंत्रक वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि सदन के अवलोकन हेतु प्रस्तुत Balance Sheet वित्तीय वर्ष 2023—24 की है, प्रस्ताव में टंकण त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2024—25 अंकित हो गया है। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023—24 के सनदी लेखाकार द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे (Balance Sheet) का अवलोकन किया तथा संतोष व्यक्त किया।

बिन्दु सं. 69/8 : **दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त NPS से OPS का विकल्प लेने वाले एवं नियोक्ता अंशदान की निर्धारित राशि जमा कराने वाले कार्मिकों के लिए रूपान्तरित राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में।**

—00—

प्रस्तावः— वित्त(नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 के अनुसरण में प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 26.05.2023 को आयोजित 105वीं बैठक के कार्यवाही विवरण सं0 105/01 पर लिये गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर कुलसचिव कार्यालय के आदेश क्रमांक वमखुविवि स्था /23/238 दिनांक 31.05.2023 द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(OPS) लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दिनांक 22.01.2015 को सिस्टम एनालिस्ट एण्ड डिजाईन मैनेजर के पद पर नियुक्त कार्मिक श्री राजेश त्रिपाठी जिन्होंने NPS से OPS का विकल्प निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिया था। श्री त्रिपाठी दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत हो गए है। श्री राजेश त्रिपाठी एवं अन्य समान प्रकरणों में पेंशन परिलाभ प्रदान करने एवं इस संबंध में गाईडलाइन बनाये जाने हेतु **कुलसचिव कार्यालय के आदेश क्रमांक 2049 दिनांक 05.12.2024 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था**। समिति की दिनांक 07.01.2025 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवाही विवरण में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना(NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(OPS) में पेंशन एवं सेवान्त परिलाभ दिये जाने की समिति द्वारा अभिशंषा की गई है। उक्त अभिशंषा का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत कार्मिक श्री राजेश त्रिपाठी एवं अन्य समान प्रकृति के सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को पेंशन एवं सेवान्त परिलाभों में रूपान्तरण की राशि के बाबत समिति द्वारा बिन्दु सं0 3 में निम्नानुसार अभिशंषा की गई हैः—

''वित विभाग के आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 06.07.2023 के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न—भिन्न है। उक्त आदेश में संस्था की वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए **पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाने का निर्देश दिया गया है।** अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 प्रभावी करने के संबंध में विश्वविद्यालय की विधायी निकाय द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।''

अतः नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अन्तर्गत सेवानिवृत/सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को रूपान्तरित राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में निर्णयार्थ वित्त समिति के सक्षम प्रस्तुत है।

निर्णय— प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। नियत्रंक वित्त द्वारा पेंशन व सेवान्त परिलाभों के भुगतान पर वार्षिक व्यय एवं पेंशन निधि की स्थिति से सदन को

अवगत कराया। विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अन्य सेवान्त परिलाभों साथ पेंशन रूपान्तरण का भी भुगतान किया जा रहा है। एनपीएस से ओपीएस के अंतर्गत आये कार्मिकों की संख्या भी अधिक नहीं है। अतः विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों को समान परिलाभ दिये जाने के दृष्टिकोण के तहत् एनपीएस से ओपीएस के अंतर्गत आये कार्मिकों को भी पेंशन रूपान्तरण दिये जाने का निर्णय लिया गया।

रिर्पोटिगं आईटम

बिन्दु सं. 68/9 : **NEP 2020 के तहत सत्र जनवरी 2025 से नवीन कार्यक्रम शुल्क लागू किये जाने बाबत्।**

—00—

प्रस्ताव :— नई शिक्षा नीति—2020 के क्रियान्वयन के क्रम में वि.वि. द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम संरचना में बदलाव और तदानुसार नवीन कार्यक्रम शुल्क प्रवेश सत्र जनवरी, 2025 से लागू किये जाने वाले प्रस्ताव का निदेशक संकाय,योजना एवं विकास द्वारा माननीय कुलपति महोदय से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा अधिनियम की धारा 8(18) के तहत अनुमोदित कराने के फलस्वरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुल्क संरचना को सारणीनुसार प्रवेश सत्र जनवरी, 2025 से लागू किये जाने की कृत कार्यवाही सदन के समक्ष रिर्पोटिंग बिन्दु के रूप सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :— सदन द्वारा कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेंडा बिन्दु

बिन्दु सं. 69/10 : **IT & EMPC विभाग के सर्वर रूम कक्ष हेतु Smart Rack क्रय करने हेतु प्रस्ताव।**

—00—

प्रस्ताव :— वर्तमान में विश्वविद्यालय अपने सभी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से लेकर परीक्षा परिणाम एवं उपाधि वितरण तक समस्त कार्य एवं जानकारियाँ IT & EMPC विभाग में स्थापित सर्वर्स के माध्यम से आईटी टीम द्वारा निष्पादित किया जाता है| विश्वविद्यालय में लगभग 12 वर्ष पूर्व सर्वर क्रय किए गए थे जिनके माध्यम से आज दिनांक तक विश्वविद्यालय की सभी e-services को सुचारु रूप से लाखों छात्रों तक उपलब्ध कराया गया है| विश्वविद्यालय में स्थापित आईटी इन्फ्रस्ट्रक्चर को वर्तमान समयानरूप अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है जिस हेतु चरण बद्ध तरीके से नए सर्वर्स को क्रय किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और सर्वर रूम को हाई टेक करने हेतु एक Smart Rack को लिया जाना प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 70 लाख रुपये है| स्मार्ट रैक में निम्न प्रणाली यथा – Cooling System, Heat Exchanger, Manage Evaporator, Digital Temperature Display, Structured Power Distribution System, IP based monitoring of fault & signals, Smoke & Fire Detection and suppression system आदि सिस्टम उपलब्ध रहते है जो उपकरणों को सही के कार्य करने के लिए मानकों के आधार पर कार्य करने का सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते है| प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में दर्ज किए जा रहे अधिकाधिक तापमान एवं घरेलू उपयोग के लिए बनाए गए AC से Mission Critical e-Services सिस्टम को कार्यरत रखना जोखिम पूर्ण भी हो सकता है अतः उच्च कोटि

की IT सेवायों के सुचारु रूप से सम्पादन के लिए स्मार्ट रैक को क्रय किया जाना सर्वथा उपयोगी और आवश्यक है|

निर्णय– प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का अपने स्तर पर विकसित/क्रय किया गया सर्वर है जिससे विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जा रही है। उक्त सर्वर 10 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है अतः 67वीं वित्त समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में सर्वर क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित Smart Rack जिसकी अनुमानित लागत 70.00 लाख रूप्ये है, क्रय किये जा रहे सर्वर की सुरक्षा के लिये आवश्यक है चूँकि IT&EMPC विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार इसमें Advance Features ;Fkk& Cooling System, Heat Exchanger, Manage Evaporator, Digital Temperature Display, Structured Power Distribution System, IP based monitoring of fault & signals, Smoke & Fire Detection and suppression system आदि उपलब्ध रहते हैं जो उपकरणों को सही से कार्य करने के लिये मानकों को आधार पर कार्य करने हेतु सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है।

अतः Smart Rack क्रय को नवीन सर्वर की सुरक्षा एवं मानकों के आधार पर कार्य करने हेतु उचित मानते हुये प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु सं. 69/11 : **विश्वविद्यालय में एकाकी पदो के लिए पदोन्नति के अवसर सृजित करने हेतु एकल पदों (Isolated Posts) के पदोन्नति पदों का सृजन किये जाने बाबत।**

—00—

प्रस्ताव :– वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिक श्री सौरभ पाण्डे, प्रोड्यूसर स्टुडियों, श्री मंयक गौड़, विडियो प्रोडयूसर स्टुडियो, श्री अतुल कुमार गुप्ता, एडिटर स्टुडियो के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह मांग की है कि शासन सचिव, वित्त (बजट), (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 13(23)वित्त/नियम/2023 दिनांक 31–08–2023 के अन्तर्गत उचित लेवल पर उन्हें क्रमोन्नत किया जावें। इसी प्रकार अन्य कार्मिक श्री अंतिम कुमार जैन, प्रोग्रागर, श्री धर्मेन्द्र राठौड़, सहायक प्रोग्रामर श्री संजीव किशोर मेहरा, सहायक प्रोग्रामर के द्वारा यह मांग की गई है कि राज्य सरकार के नियमान्तर्गत उन्हें पदोन्नति का अवसर प्रदान की जावें। उक्त संदर्भ में विश्वविद्यालय के सभी एकाकी पदों को वित समिति की आयोजित होने वाली बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किए जाने का माननीय कुलपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में निम्नलिखित एकाकी पद राज्य सरकार से स्वीकृत है। एकाकी पदों की पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 31–08–2023 में स्वीकृत एकाकी पदों पर (Isolated Posts) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में निर्धारित पे लेवल के आधार परिशिष्ट–'अ' पर सलंग्न सारिणी में वर्णित पे लेवल में तीन पदोन्नति के अवसर सृजित किये जाने का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। उक्त सृजित किए जाने वाले प्रत्येक पद के लिए पदोन्नति न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया जायेगा तथा पदोन्नति पद के लिए पदनाम एकल पद के पदनाम के दृष्टिगत अपने स्तर पर निर्धारित किए जायेगें।

एकाकी पदों का विवरण :–

क्र. स.	एकाकी पद का नाम	राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में निर्धारित पे लेवल	एकाकी पद की स्वीकृत संख्या	एकाकी पद का वेतनमान/ग्रेडपे/पे लेवल		
				Pay Band	Grade Pay	Pay Level
1	Sectretary to V.C.	वित विभाग से अनुमोदित(L-16)	1	15600-39100	6600	L-16
2	Dy. Registrar	वित विभाग की आई.डी. संख्या 101302377 से ग्रेड पे 6600 स्वीकृत।(L-16)	5	15600-39100	6600	L-16
3	Asstt. Registrar	वित विभाग की आई.डी. संख्या 101402958 से ग्रेड पे 5400 स्वीकृत।(L-14)	13	15600-39100	5400	L-14
4	Asstt. Engineer एक बारक्रमोन्नतकियागयाहै।	L-14	1	15600-39100	5400	L-14
5	Producer studio	वित विभाग से अनुमोदित (L-14)	1	15600-39100	5400	L-14
6	Video Producer Studio	वित विभाग से अनुमोदित (L-14)	1	15600-39100	5400	L-14
7	Editor Studio	वित विभाग से अनुमोदित (L-12)	1	9300-34800	4800	L-12

क्र. स.	एकाकी पद का नाम	राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में निर्धारित पे लेवल	एकाकी पद की स्वीकृत संख्या	एकाकी पद का वेतनमान/ग्रेडपे/पेलेवल		
				Pay Band	Grade Pay	Pay Level
8	Programmer	L-12	2	9300-34800	4800	L-12
9	Assistant Programmer	L-10	4	9300-34800	3600	L-10
10	Personal Assistant Grade-II (Stenographer)	L-10	4	9300-34800	3600	L-10
11	Assistant Public Relation Officer	L-10	1	9300-34800	3600	L-10

अतः विश्वविद्यालय में उक्त एकाकी पदों के लिए पदोन्नति के अवसर सृजित किए जाने के संबंध में निर्णयार्थ वित्त समिति के सक्षम प्रस्तुत है।

निर्णय– प्रकरण में विचार–विमर्श उपरान्त शासन सचिव, वित्त (बजट), (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(23)वित्त/नियम/2023 दिनांक 31–08–2023 में विहित प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय में एकाकी पदों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर सृजित किए जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुये एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जो राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के अनुसार परिपूर्ण प्रस्ताव/अभिशंषा प्रस्तुत करें जिसे प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

बिन्दु सं. 69/12 : **विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यकमों (संगोष्ठि,सेमिनार व अन्य कार्यक्रम) के लिये जलपान, अल्पाहार व भोजन आदि की अधिकतम दर निर्धारण बाबत् ।**

–00–

प्रस्ताव– विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों यथा– सेमीनार, संगोष्ठि व अन्य कार्यक्रमों हेतु जलपान, अल्पाहार, चाय आदि की व्यवस्था हेतु संशोधित दरें प्रस्तावित करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक वमखुवि/के0पु0/2024/15 दिनांक 09.05.2024 द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी।

V.M.O.U.

निर्णय–प्रकरण में विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि समिति की अभिशंषा/रिपोर्ट लगभग एक वर्ष पुरानी है जिसका अनुमोदन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रकृति के अनुसार नाश्ता, हाई–टी एवं लंच/डिनर के मीनू (साधारण अवसर एवं विशेष अवसर को ध्यान में रखते हुये) निर्धारित कर उसके अनुसार नियमानुसार निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दर निर्धारण की कार्यवाही की जावे ।

बिन्दु सं. 69/13 :– **विभिन्न प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने कारण कार्य में हो रहे विलम्ब/विश्वविद्यालय की प्रगति बाधित होने के संबंध में।**

–00–

वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 07.08.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट के अवलोकन के दौरान बिन्दु संख्या 68/05 एवं 68/06 के संबंध में प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्य में हो रहे विलम्ब/विश्वविद्यालय की प्रगति बाधित होने के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये उचित कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में टेबल एजेंडा बिंदु के रूप में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं.–68/5 To consider the revised estimate of Rs. 4,65,15,900.00 for "Construction of constitutional pillar & Park".– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार संविधान पार्क का निर्माण राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति से करवाया जा रहा है किन्तु संशोधित प्रारंभिक ऑकलन की स्वीकृति लंबे समय से राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है जिसके कारण उक्त निर्माण अवरूद्ध है एवं कार्य पर अब तक व्यय हुआ व्यय निष्फल हो रहा है। अतः इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ताकि कार्य शीघ्र पूरा हो सके एवं अब तक जो व्यय किया गया है वह सार्थक हो सके ।

(अ) बिन्दु सं.–68/6 विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में आन्तरिक गृहकार्य जमा एव मूल्यांकन के कार्य को ऑनलाईन करने के संबंध में– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तकनीकी युग में ऑफलाईन असाईनमेंट की प्रक्रिया अप्रासंगिक एवं विद्यार्थियों के लिये कठिनाई उत्पन्न करने वाली है। ऑनलाईन प्रकिया से विद्यार्थी कही से भी असाईनमेंट डाउनलोड/अपलोड कर सकेगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुगमता व पारदर्शिता आयेगी साथ ही परिणाम शीघ्र जारी हो सकेगा जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को सुविधा होगी। अतः इसी सत्र से ऑनलाईन व्यवस्था लागू किया जाना अनिवार्य है।

(ब) क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर में भवन निर्माण– माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर के लिये विश्वविद्यालय को 01.00 रूपये प्रतिवर्गगज की रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किया गया है जिस पर निर्धारित अवधि में भवन निर्माण किया जाना आवश्यक है। उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति बाबत प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजे हुये एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा चाही गयी सूचनाएँ भी भिजवा दी गयी तथा स्मरण पत्र भी प्रेषित किये गये हैं लेकिन स्वीकृति अभी अपेक्षित है जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

(स) नवीन कुलपति सचिवालय भवन का निर्माण– माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या परम्परागत विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कहीं अधिक है तथा विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र भी समूचा प्रदेश है परन्तु विश्वविद्यालय का कुलपति सचिवालय गरिमा के अनुरूप नहीं है। अतः कुलपति सचिवालय भवन निर्माण की अनुमति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति बाबत प्रस्ताव

प्रशासनिक विभाग को भेजा गया किन्तु एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्वीकृति अपेक्षित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के स्रोतों से निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों व अन्य कार्यों हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है। लेकिन इस विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये जाने की परम्परा है जिसके कारण प्रत्येक कार्य में विलंब/अवरोध उत्पन्न होता है ।

इस क्रम में नियंत्रक वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के एक्ट की धारा 20ए के अनुसार भी राज्य सरकार की निधि सम्मिलित होने की स्थिति में ही राज्य सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित है किन्तु जो प्रकरण भिजवाये जाते हैं वे आरटीपीपी रूल्स, 2013 के नियम 32 के साथ सपठित अधिसूचना दिनांक 04.09. 2013 में अधिसूचित अभिकरणों से बिना निविदा कार्य करवाये जाने की स्थिति में वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(4)वित्त/साविलेनि/2016 दिनांक 27.07.2018 के क्रम में सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। दूसरा विश्वविद्यालय में प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने की परंपरा भी रही है।

विचार–विमर्श के उपरान्त प्रकरण को तथ्यात्मक विवरण के साथ आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में आगामी कार्यवाही बाबत् निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने की राय दी गयी।

बिन्दु सं.–68/4:–संत सुधासागर सभागार को सुसज्जित किया जाना– माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि उक्त सभागार भवन को उपयोग योग्य बनाने हेतु उक्त कार्य के पूर्ण होने तक सोफे (आगे की 3–4 पंक्तियों के लिये) व कुर्सिया क्रय किया जाना आवश्यक है। सदन द्वारा नियमानुसार क्रय कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

नियन्त्रक (वित्त)
एवं सचिव, वित्त समिति